

136

संख्या-1825 / एक-10-2023-33(46)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2023

विषय- 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट के वेतन मद की द्वितीय किशत की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पत्र संख्या-825/रा0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-06.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80 -सामान्य-800 अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 248.41 लाख में से प्रथम किशत के रूप में रु0 124.20 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासनादेश संख्या-534/एक-10-2023-33(46)/2018, दिनांक 06.04.2023 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80 -सामान्य-800 अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 248.41 लाख में से द्वितीय किशत के रूप में रुपये 30.00 (रु0 तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0	मद	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित बजट	प्रथम किशत की स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किशत की आवंटित / स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	वेतन मद 2245-80-800-06-00-31	248.41	124.20	30.00
(रु0 तीस लाख मात्र)				

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग -1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 30.00 लाख (रु0 तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के लेखाशीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य- 800- अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण - 31- सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023 / बी-1-227/दस-2023-231- / 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या- 1825 (1) / एक-10-2023-33(46)/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग - 5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-18/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1825
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1825
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	3000000 15420000	3000000 15420000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3000000 15420000	3000000 15420000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवन लाख बीस हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन